



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

<http://rajpatrahimachal.nic.in>

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

बुधवार, 11 फरवरी, 2015 / 22 माघ, 1936

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

*Shimla-2, the 07<sup>th</sup> February, 2015*

**No. PLG-B (1)3/2014.**—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to order the promotion of following Assistant Research Officers to the post of Research Officer (Class IGazetted) in the pay scale of Rs.10300-34800+5000 Grade Pay on regular basis with immediate effect:—

1. Sh. Kuldeep Singh, ARO

2. Sh. Naresh Kumar Sharma, ARO
3. Sh. M. R. Negi, ARO
4. Sh. Ravinder Chand, ARO
5. Sh. Desh Raj, ARO

The officers will remain on probation for a period of two years from the date of promotion and will also exercise option for fixation of pay under the provision of F. R. 22 within a period of one month from the date of issue of this order.

By order,  
Dr. SHRIKANT BALDI,  
*Pr. Secy. (Planning).*

## PLANNING DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, 07<sup>th</sup> February, 2015*

**No. PLG-B (1)3/2014.**—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to order the transfer & posting of following Research Officers / District Planning Officers against vacancy shown as under with immediate effect in the public interest:—

| Sr. No. | Name of Officer Present | Place of Posting as ARO / DPO | Place of Posting as RO/ DPO                                    |
|---------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.      | Sh. Kuldeep Singh       | Distt Mandi                   | Distt. Plannig Office Hamirpur vice Sh. Pardeep Kumar Purta.   |
| 2.      | Sh. Naresh Kumar        | Head Quarter Shimla           | Head Quarter Shimla against vacant post.                       |
| 3.      | Sh. M. R. Negi          | Distt. Shimla                 | Head Quarter Shimla against vacant post.                       |
| 4.      | Sh. Ravinder Chand      | Distt. Kangra                 | Distt. Planning Office Kangra vice Sh. Gautam Sharma DPO.      |
| 5.      | Sh. Desh Raj            | Head Quarter Shimla           | Head Quarter Shimla against vacant post.                       |
| 6.      | Sh. Pardeep Purta       | Distt. Hamirpur               | Distt. Planning Office Solan vice Sh. Suresh Kumar DPO.        |
| 7.      | Sh. Suresh Kumar        | Distt. Solan                  | Head Quarter Shimla against vacant post with TTA/Joining Time. |
| 8.      | Sh. Gautam Sharma       | Distt. Kangra                 | Distt. Planning Office Una against vacant post.                |

The above Officers are directed to join their duties at the respective place of postings and send their joining report through proper channel.

By order,  
Dr. SHRIKANT BALDI,  
Pr. Secy. (Planning).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

श्री राज कुमार पुत्र श्री लेख राम, गांव टूह, डा0 डुगर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

वादी।

बनाम

आम जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या : 9151, दिनांक 26-6-2014 अनुसार श्री राज कुमार पुत्र श्री लेख राम, गांव टूह, डा0 डुगर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि कुमारी अनीता देवी सुपुत्री राज कुमार का जन्म दिनांक 20-9-1995 को गांव टूह, डा0 डुगर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर में हुआ है परन्तु वह उपरोक्त जन्म तिथि 20-9-1995 को ग्राम पंचायत महल, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न करवा सका है तथा अब उक्त जन्म तिथि 20-9-1995 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस राजपत्र इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कुमारी अनीता देवी सुपुत्री श्री राज कुमार की जन्म तिथि 20-9-1995 को ग्राम पंचायत महल, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-2-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 27-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

**In the Court of Shri Rakesh Kumar Sharma (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur (H. P.)**

In the matter of :

1. Manish Kumar, aged 34 years s/o Shri Gian Chand, r/o Village Rihri, P.O. Lag Manwin, Tehsil and District Hamirpur (H.P.).

2. Devender Kaur, aged 25 years d/o Late Shri Jasvinder Singh, r/o Village Sammu (Tarkwari), P.O. Tarkwari, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) . . . Applicants.

*Versus*

General Public

*Subject.*—Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001).

Manish Kumar and Devender Kaur have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 21-7-2008 at Awah Devi Mata Temple, Awah Devi, District Hamirpur as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 28-2-2015. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 27-1-2015 under my hand and seal of the court.

Seal.

RAKESH KUMAR SHARMA,  
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).*

**In the court of Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Rampur Bushahr,  
District Shimla (H.P.)**

In the matter of :

1. Shri Vijay Singh, aged 26 years s/o Late Shri Amar Singh, r/o Village Tharu, P.O. Delath, Tehsil Rampur, District Shimla (H.P.).

2. Smt. Ranjana, aged 25 years, d/o Shri Amar Singh, r/o Village Jogni, P.O. Munich-Bhali, Tehsil Rampur, District Shimla (H.P.) . . . Applicants.

*Versus*

General Public

*Subject.*— Proclamation for the registration of marriage under Section 16 of the Special Marriage Act, 1954.

Shri Vijay Singh and Smt. Ranjana have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized

their marriage on 14-8-2014 at Village Tharu, P.O. Delath, Tehsil Rampur, District Shimla (H.P.) according to Hindu Rites and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 27-2-2015 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 27<sup>th</sup> day of January, 2015 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Rmapur Bushahr, District Shimla (H.P.).*

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 41-IX/09

तारीख रजुआ : 31-8-2009

किस्म मुकदमा : तकसीम

(1) राजेन्द्र सिंह, (2) महेन्द्र सिंह पुत्रगण परमेश्वर दास, निवासी कशैनी, उप-तहसील टिक्कर, (3) लोकेश, (4) अमीर चन्द पुत्रगण प्रभू दयाल, निवासी ग्राम कशैनी, उप-तहसील टिक्कर, (5) सतीश कुमार, (6) विनोद कुमार पुत्रगण बलवन्त सिंह, निवासी ग्राम भमनाला, तहसील रोहडू, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

प्रार्थी नम्बर 1, 3, 4, 5 द्वारा मुख्तारनामा आम महेन्द्र सिंह प्रार्थी नम्बर 2

फरीकअब्बल।

बनाम

1. सुरत राम पुत्र रणवीर, 2. श्रीमती वीरकली पुत्री रणवीर, 3. श्रीमती भगवान दासी पुत्री रणवीर, 4. मैन राम पुत्र रामानन्द, 5. सरन दास, पुत्र श्वाला नन्द, 6. श्रीमती राम पत्नी सागर दास सभी निवासी लडोट, तहसील चड़गांव, 7. श्रीमती जयपती पत्नी सैन राम, निवासी कुजवानी, तहसील चड़गांव, 8. श्रीमती भगवान देवी पत्नी भगत चन्द, निवासी लडोट, तहसील चड़गांव, 9. श्री भगत राम पुत्र श्री देवी सरन, निवासी सारी, तहसील चड़गांव, 10. कपिल देव पुत्र श्री जिया लाल, निवासी लडोट, तहसील चड़गांव, 11. कुमारी चन्देश पुत्री जिया लाल, निवासी लडोट, 12. लक्ष्मण दास पुत्र चन्द राम, निवासी लडोट तहसील चड़गांव, 13. श्रीमती रामपती उर्फ श्याम प्यारी, पत्नी मदन, निवासी गौंसारी, तहसील चड़गांव फरीकदोयम।

दरखास्त बाबत हुकमनी तकसीम जेर धारा 123 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 हि0 प्र0 के अन्तर्गत खाता/खतोनी नं0 05/12 ता 17, कित्ता 20, रकबा तादादी 02-75-89 है0, चक लडोट, तहसील चड़गांव, बरुये नकल जमाबन्दी अक्स मुसाबी नक्शा (अ) फरीक अब्बल, नम्बर 01, 03, 04, 05, द्वारा मुख्तार आम महेन्द्र सिंह प्रार्थी नम्बर 2 व फरीकअब्बल नम्बर 6 स्वयं द्वारा एक दरखास्त बाबत तकसीम उपरोक्त भूमि इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भूमि विवाद ग्रस्त उपरोक्त फरीकदोयम के साथ मुश्तरका है। अराजी मुश्तरका होने के कारण सदैव ही विवाद रहता है। इसलिए भूमि तकसीम करके प्रार्थीगणों का खाता प्रतिवादीगणों से अलग किया जाये। प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर हर दो फरीकौन को बजरिया समन तलब किया गये परन्तु फरीकदोयम नं0 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13 घर पर न मिलने के कारण उचित तामील नहीं हो पा रही है। जिस कारण इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से करवाई जानी सम्भव नहीं है।

अतः उपरोक्त प्रतिवादीगणों को राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 27 फरवरी, 2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर मुकद्दमें की पैरवी करें अन्यथा यह समझा जायेगा कि प्रतिवादीगण को इस तकसीम में कोई भी उजर व एतराज नहीं है तथा कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 24-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 40-IX/09

तारीख रजुआ : 31-8-2009

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

(1) राजेन्द्र सिंह, (2) महेन्द्र सिंह पुत्रगण परमेशवर दास, निवासी कशैनी, उप-तहसील टिक्कर, (3) लोकेश, (4) अमीर चन्द पुत्रगण प्रभू दयाल, निवासी ग्राम कशैनी, उप-तहसील टिक्कर, (5) सतीश कुमार, (6) विनोद कुमार पुत्रगण बलवन्त सिंह, निवासी ग्राम भमनाला, तहसील रोहडू, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

प्रार्थी नम्बर 1, 3, 4, 5 द्वारा मुख्यारनामा आम महेन्द्र सिंह प्रार्थी नम्बर 2 फरीकअब्बल।

बनाम

1. गिरजा नन्द पुत्र कुन्दन लाल, निवासी लडोट, तहसील चड़गांव, 2. कृष्णा देवी पत्नी श्री साह नन्द, निवासी ग्राम किन्डारी, तहसील चड़गांव, 3. कुन्दन लाल पुत्र श्री सीता राम, निवासी लडोट, तहसील चड़गांव, 4. हुकमी नन्द पुत्र श्री दुर्गी, निवासी लडोट, तहसील चड़गांव . . फरीकदोयम।

दरखास्त बाबत हुकमनी तकसीम जेर धारा 123 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 हि0 प्र0 के अन्तर्गत खाता/खतोनी नं0 30/820 ता 88, कित्ता 48, रकबा तादादी 05-06-53 है0, चक लडोट, तहसील चड़गांव, बरुये नकल जमाबन्दी अक्स मुसाबी नक्शा (अ) फरीकअब्बल, नम्बर 01, 03, 04, 05, द्वारा मुख्तार आम महेन्द्र सिंह प्रार्थी नम्बर 2 व फरीक अब्बल नम्बर 6 स्वयं द्वारा एक दरखास्त बाबत तकसीम उपरोक्त भूमि इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भूमि विवाद ग्रस्त उपरोक्त फरीकदोयम के साथ मुश्तरका है। अराजी मुश्तरका होने के कारण सदैव ही विवाद रहता है। इसलिए भूमि तकसीम करके प्रार्थीगणों का खाता प्रतिवादीगणों से अलग किया जाये। प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर हर दो फरीकैन को बजरिया समन तलब किया गये परन्तु फरीकदोयम नम्बर 1 मृतक के वारसान कृष्णादेवी व फरीकदोयम नम्बर 3 के वारसान राजा राम व सन्तोष, निवासी लडोट, तहसील चड़गांव के घर पर न मिलने के कारण उचित तामील नहीं हो पा रही है। जिस कारण इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से करवाई जानी सम्भव नहीं है।

अतः उपरोक्त प्रतिवादीगणों को राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 27 फरवरी, 2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर मुकद्दमें की पैरवी करें। अन्यथा यह समझा जायेगा कि प्रतिवादीगण का इस तकसीम में कोई भी उजर व एतराज नहीं है तथा कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 24-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 39-IX/09

तारीख रजुआ : 31-8-2009

किस्म मुकदमा : तकसीम

(1) राजेन्दर सिंह, (2) महेन्दर सिंह पुत्रगण परमेशवर दास, निवासी कशैनी, उप-तहसील टिक्कर, (3) लोकेश, (4) अमीर चन्द पुत्रगण प्रभू दयाल, निवासी ग्राम कशैनी, उप-तहसील टिक्कर, (5) सतीश कुमार, (6) विनोद कुमार पुत्रगण बलवन्त सिंह, निवासी ग्राम भमनाला, तहसील रोहडू, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

प्रार्थी नम्बर 1, 3, 4, 5 द्वारा मुख्यारनामा आम महेन्दर सिंह प्रार्थी नम्बर 2 फरीकअब्बल।

बनाम

1. श्रीमती पन्ना देई पत्नी श्री बाबू राम, निवासी बरशील, तहसील चड़गांव, 2. श्रीमती साल देई पत्नी केसर सिंह, निवासी ग्राम बागी, तहसील चड़गांव, 3. श्रीमती राम पजी पत्नी श्री बनवारी लाल, निवासी खोपटूवाडी, तहसील चड़गांव, 4. श्रीमती बांका देई पत्नी भजन दास, निवासी ग्राम किन्डारी, तहसील चड़गांव, 5. श्री ब्रिज लाल पुत्र हुमा नन्द, निवासी लडोट, तहसील चड़गांव, 6. श्रीमती अमर दासी पत्नी श्री हुमा नन्द, निवासी लडोट, तहसील चड़गांव, 7. श्री सन्त लाल पुत्र हुमा नन्द, निवासी ग्राम लडोट, तहसील चड़गांव फरीकदोयम।

दरखास्त बाबत हुकमनी तकसीम जेर धारा 123 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 हि0 प्र0 के अन्तर्गत खाता/खतोनी नं0 32/90 ता 91, कित्ता 47, रकबा तादादी 7-40-24 है0, चक लडोट, तहसील चड़गांव, बरुये नकल जमाबन्दी अक्स मुसाबी नक्शा (अ) फरीकअब्बल, नम्बर 01, 03, 04, 05, द्वारा मुख्तार आम महेन्दर सिंह प्रार्थी नम्बर 2 व फरीकअब्बल नम्बर 6 स्वयं द्वारा एक दरखास्त बाबत तकसीम उपरोक्त भूमि इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भूमि विवाद ग्रस्त उपरोक्त फरीकदोयम के साथ मुश्तरका है। अराजी मुश्तरका होने के कारण सदैव ही विवाद रहता है। इसलिए भूमि तकसीम करके प्रार्थीगणों का खाता प्रतिवादीगणों से अलग किया जाये। प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर हर दो फरीकैन को बजरिया समन तलब किया गया परन्तु फरीकदोयम 01, 02, 03, 04 घर पर न मिलने के कारण उचित तामील नहीं हो पा रही है। जिस कारण इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से करवाई जानी सम्भव नहीं है।

अतः उपरोक्त प्रतिवादीगणों को राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 27 फरवरी, 2015 को प्रातः 10.00 बजे अदालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर मुकदमें की पैरवी करें। अन्यथा यह समझा जायेगा कि प्रतिवादीगण का इस तकसीम में कोई भी उजर व एतराज नहीं है तथा कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 24-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 38-IX/09

तारीख रजुआ : 31-8-2009

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

(1) राजेन्दर सिंह, (2) महेन्दर सिंह पुत्रगण परमेशवर दास, निवासी कशैनी, उप-तहसील टिक्कर, (3) लोकेश, (4) अमीर चन्द पुत्रगण प्रभू दयाल, निवासी ग्राम कशैनी, उप-तहसील टिक्कर, (5) सतीश कुमार, (6) विनोद कुमार पुत्रगण बलवन्त सिंह, निवासी ग्राम भमनाला, तहसील रोहडू, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

प्रार्थी नम्बर 1, 3, 4, 5 द्वारा मुख्यारनामा आम महेन्दर सिंह प्रार्थी नम्बर 2 फरीकअब्बल।

बनाम

1. सुरत राम पुत्र रणवीर, निवासी लडोट, तहसील चड़गांव, 2. श्रीमती वीरकली पत्नी श्री चैन राम निवासी किन्डारी, तहसील चड़गांव, 3. श्रीमती भगवान दासी पत्नी राम नाथ, निवासी जयलोड, तहसील चड़गांव, 4. मैन राम पुत्र रामानन्द, निवासी लडोट, तहसील चड़गांव, 5. सरन दास पुत्र श्वाला नन्द, निवासी लडोट, तहसील चड़गांव, 6. श्रीमती रामपती पत्नी सागर दास निवासी लडोट, तहसील चड़गांव, 7. श्रीमती जयपती पत्नी सैन राम, निवासी कुजवानी, तहसील चड़गांव, 8. श्रीमती भगवान देवी पत्नी भगत चन्द, निवासी मकटोट, तहसील चड़गांव फरीकदोयम।

दरखास्त बाबत हुकमनी तकसीम जेर धारा 123 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 हि0 प्र0 के अन्तर्गत खाता/खतोनी नं0 29/74 ता 81, कित्ता 31, रकबा तादादी 03-42-28 है0, चक लडोट, तहसील चड़गांव, बरुये नकल जमाबन्दी अक्स मुसाबी नक्शा (अ) फरीकअब्बल, नम्बर 01, 03, 04, 05, द्वारा मुख्तार आम महेन्दर सिंह प्रार्थी नम्बर 2 व फरीकअब्बल नम्बर 6 स्वयं द्वारा एक दरखास्त बाबत तकसीम उपरोक्त भूमि इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भूमि विवाद ग्रस्त उपरोक्त फरीकदोयम के साथ मुश्तरका है। अराजी मुश्तरका होने के कारण सदैव ही विवाद रहता है। इसलिए भूमि तकसीम करके प्रार्थीगणों का खाता प्रतिवादीगणों से अलग किया जाये। प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर हर दो फरीकैन को बजरिया समन तलब किया गये। परन्तु फरीकदोयम नम्बर 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, घर पर न मिलने के कारण उचित तामील नहीं हो पा रही है। जिस कारण इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से करवाई जानी सम्भव नहीं है।

अतः उपरोक्त प्रतिवादीगणों को राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 27 फरवरी, 2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर मुकद्दमें की पैरवी करें। अन्यथा यह समझा जायेगा कि प्रतिवादीगण का इस तकसीम में कोई भी उजर व एतराज नहीं है तथा कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 24-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चड़गांव, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 36-IX/09

तारीख रजुआ : 31-8-2009

किस्म मुकद्दमा : तकसीम

(1) राजेन्दर सिंह, (2) महेन्दर सिंह पुत्रगण परमेशवर दास, निवासी कशैनी, उप-तहसील टिक्कर, (3) लोकेश, (4) अमीर चन्द पुत्रगण प्रभू दयाल, निवासी ग्राम कशैनी, उप-तहसील टिक्कर, (5) सतीश कुमार, (6) विनोद कुमार पुत्रगण बलवन्त सिंह, निवासी ग्राम भमनाला, तहसील रोहडू, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

## बनाम

1. सुरत राम पुत्र रणवीर, निवासी लडोट, तहसील चड़गांव, 2. श्री ज्ञान सिंह पुत्र शिव सरन, निवासी लडोट, तहसील चड़गांव, 3. ईश्वरी देवी पत्नी स्व० श्री मातवर सिंह, निवासी गांव टिक्करी, तहसील चड़गांव, 4. नरेण देई पत्नी लोभा राम, निवासी शिलादेश, तहसील चड़गांव, 5. सूरत राम पुत्र देवी राम, निवासी लडोट, तहसील चड़गांव, 6. लोभा राम पुत्र देवी राम, निवासी लडोट, तहसील चड़गांव, 7. सुभा देई, पत्नी राजा राम, निवासी शिलादेश, तहसील चड़गांव, 8. गुदडी उर्फ सीता पुत्री नन्द लाल, निवासी लडोट, तहसील चड़गांव, 9. जय देवी पत्नी स्व० नन्द लाल, निवासी लडोट, तहसील चड़गांव फरीकदोयम।

दरखास्त बाबत हुकमनी तकसीम जेर धारा 123 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 हि० प्र० के अन्तर्गत खाता/खतोनी नं० 23/64 ता 68, कित्ता 28, रकबा तादादी 02-82-33 है०, चक लडोट, तहसील चड़गांव, बरुये नकल जमाबन्दी अक्स मुसाबी नक्शा (अ) फरीकअब्बल, नम्बर 01, 03, 04, 05, द्वारा मुख्तार आम महेन्दर सिंह प्रार्थी नम्बर 2 व फरीकअब्बल नम्बर 6 स्वयं द्वारा एक दरखास्त बाबत तकसीम उपरोक्त भूमि इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भूमि विवाद ग्रस्त उपरोक्त फरीकदोयम के साथ मुश्तरका है। अराजी मुश्तरका होने के कारण सदैव ही विवाद रहता है। इसलिए भूमि तकसीम करके प्रार्थीगणों का खाता प्रतिवादीगणों से अलग किया जाये। प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर हर दो फरीकैन को बजरिया समन तलब किया गया। परन्तु फरीक दोयम नम्बर 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09 घर पर न मिलने के कारण उचित तामील नहीं हो पा रही है। जिस कारण इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से करवाई जानी सम्भव नहीं है।

अतः उपरोक्त प्रतिवादीगणों को राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 27 फरवरी, 2015 को प्रातः 10.00 बजे असातन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर मुकद्दमें की पैरवी करें। अन्यथा यह समझा जायेगा कि प्रतिवादीगण का इस तकसीम में कोई भी उजर व एतराज नहीं है तथा कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 24-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
चड़गांव, जिला शिमला (हि० प्र०)।

-----

ब अदालत श्री नरेश कुमार उप-मण्डलाधिकारी (ना०) चौपाल, जिला शिमला (हि० प्र०)

श्री मयानू पुत्र श्री रवन्थू राम, गांव शलन, परगना सतोता, उप-तहसील नेरुवा, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि० प्र०) वादी।

## बनाम

1. आम जनता
2. प्रधान, ग्राम पंचायत हलाऊ, उप-तहसील नेरुवा, तहसील चौपाल प्रतिवादी।

विषय.—श्री मयानू (प्रार्थी की बहन का नाम पंचायत में दर्ज करवाये जाने बारे) की अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म के पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में वादी श्री मयानू ने आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसने (व उसके माता पिता ने) अपनी बहन का नाम जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है जिसे कि अब वह ग्राम पंचायत हलाऊ के पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है जोकि निम्न प्रकार से है :-

पुरनू देवी  
सुपुत्री श्री रवन्थू राम

जन्म तिथि  
15-6-1952

अतः ग्राम पंचायत हलाऊ, उप-तहसील नेरुवा की जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 23-2-2015 को या इससे पूर्व असालनत या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे। अन्यथा आवेदन पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत हलाऊ को कार्यान्वयन हेतु भेजा जायेगा।

आज दिनांक 22-1-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

नरेश कुमार,  
उप-मण्डलाधिकारी (ना0),  
चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।